न्यायालय उपायुक्त, पाकुड़

आर0एम0आर0 वाद सं0–02/2017–18

तासिरा बेवा
बनाम
कुलेश पंडित वगैरह

...की कम ...या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के वारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
..01.2021	**आदेश** यह रिभीजन वाद विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के आर0ई0आर0 वाद सं0–15/2009–10 में दिनांक 17.12.2016 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। मामला संक्षेप में यह है कि मौजा गोविन्दपुर, थाना–हिरणपुर के दाग सं0–882 अन्तर्गत रकवा 0–5–9 धूर तथा दाग सं0–852 अन्तर्गत रकवा 0–6–1धूर जमीन से विपक्षी कमांक 02 एवं 03 को संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के प्रावधानों के तहत उच्छेद करने हेतु रिभीजनकर्त्ता के द्वारा निम्न न्यायालय में आवेदन दाखिल किया गया था। निम्न न्यायालय द्वारा विपक्षी क0–03 का दावा बरकरार रखते हुए विपक्षी कमांक 02 को दाग सं0–882 से उच्छेदी हेतु आदेश पारित किया गया। सुनवाई के दौरान दिनांक 27.06.2018 को रिभीजनकर्त्ता के द्वारा अंचल अधिकारी, हिरणपुर के जांच प्रतिवेदन की प्रमाणिकता के संदर्भ में उठाए गए आपत्ति पर अंचल अधिकारी, हिरणपुर से स्थलीय जांच प्रतिवेदन की मांग की गई। अंचल अधिकारी, हिरणपुर के पत्रांक 312/रा0, दिनांक 31.07.2018 के द्वारा जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। उक्त जांच प्रतिवेदन दिनांक 31.07.2018 के विरूद्ध विपक्षी क0 03 के द्वारा दिनांक 29.08.2018 को एक Protest Petition दाखिल किया गया। उक्त Protest Petition के विरूद्ध रिभीजनकर्त्ता के द्वारा दिनांक 12.09.2018 को Rejoinder Petition दाखिल किया गया। दिनांक 12.09.2018 को Protest Petition के विषय पर सुनवाई हेतु दिनांक 03.10.2018 की तिथि निर्धारित की गई तथा दिनांक 03.10.2018 को उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने के बाद Protest Petition को खारिज किया गया। उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा प्रस्तुत अन्तिम तर्क/बहस को सुना। सम्पूर्ण अभिलेख एवं दाखिल कागजातों का अवलोकन किया गया। रिभीजनकर्त्ता एवं विपक्षी क0–03 के द्वारा दाखिल लिखिल बहस का भी अवलोकन किया गया।	

Scanned with CamScanner

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2

रिभीजनकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि मौजा–गोविन्दपुर के दाग नं0–882 एवं 852 अन्तर्गत भूमि विगत सर्वे खतियान में अजीम मियां एवं भीखू मियां दोनों का पिता–मुन्शी मियां तथा बसारत मियां एवं उस्मान मियां दोनों का पिता–नेजादी मियां के नाम से दर्ज है। विपक्षी क0–02 एवं 03 का किसी भी खतियानी रैयतों से कोई संबंध नहीं है। उक्त दागों से विपक्षी क0 02 एवं 03 को संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम–1949 के प्रावधानों के तहत उच्छेद करने हेतु निम्न न्यायालय में आवेदन दाखिल किया गया था जिसमें निम्न न्यायालय द्वारा दिनांक 17.12.2016 को आदेश पारित कर विपक्षी क0–02 को उच्छेद किया गया परन्तु विपक्षी क0–'03 को उच्छेद नहीं किया गया। विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ द्वारा पारित उक्त आदेश गलत एवं न्याय विरूद्ध है।

रिभीजनकर्त्ता का आगे कहना है कि विपक्षी क0–03 मौजा–गोविन्दपुर के जमाबन्दी सं0–16 के खतियानी रैयत गंगू बीबी के वंशज संबंधित है तथा विपक्षी क0–03 अपने भाईयों के साथ उक्त जमाबन्दी सं0–16 की जमीन पर दखल कर रहे है। उनका आगे कहना है कि अंचल अधिकारी, हिरणपुर द्वारा निम्न न्यायालय में प्रेषित जांच प्रतिवेदन गलत एवं तथ्यहीन है। इस न्यायालय द्वारा अंचल अधिकारी, हिरणपुर से जांच प्रतिवेदन की मांग की गई थी तथा अंचल अधिकारी, हिरणपुर द्वारा नए सिरे से जांच कर जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है, जिससे यह स्पष्ट है कि विपक्षी क0–03 का प्रश्नगत भूमि के खतियानी रैयतों से कोई संबंध नहीं है तथा वे उसी मौजा के जमाबन्दी सं0–16 के खतियानी रैयत गंगू बीबी से सम्बद्ध है। उनका आगे कहना है कि निम्न न्यायालय इस तथ्य को Consider करने में पूरी तरह विफल रहे कि जब विपक्षी क0–03 जमाबन्दी सं0–16 के खतियानी रैयत से सम्बद्ध है तो वे किस प्रकार से जमाबन्दी सं0–04 के खतियानी रैयत अजीम मियां से संबंधित हो सकते है।

रिभीजनकर्त्ता का आगे कहना है कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश अंचल अधिकारी, हिरणपुर के द्वारा भेजे गए जांच प्रतिवेदन के आधार पर था, जिसमें खतियानी रैयत अजीम मियां की दो पुत्री 1. रोशनी बीबी एवं 2. अदीना बीबी दर्शाया गया है। जबकि खतियानी रैयत अजीम मियां दो पुत्री 1. रोशनी बीबी एवं 2. समीरन बीबी थी। विपक्षी क0–03 के द्वारा स्वयं को अदीना बीबी का वंशज बताया जा रहा है, जबकि खतियानी रैयत अजीम मियां की अदीना बीबी नाम की कोई पुत्री थी ही नहीं।

Scanned with CamScanner

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
2	3

रिभीजनकर्त्ता के द्वारा विपक्षी क0–03 के द्वारा दाखिल शपथ–पत्र जिसमें विपक्षी क0–03 को आदीना बीबी का वंशज बताया गया है, को गलत बताया गया है तथा उनके द्वारा कहा गया है कि इस तरह के शपथ–पत्र की कोइ वैधता नहीं, जबकि अंचल अधिकारी, हिरणपुर का fresh जांच प्रतिवेदन बिल्कुल सही है।

रिभीजनकर्त्ता के द्वारा रिभीजन आवेदन को स्वीकृत करते हुए निम्न न्यायालय के आदेश को आंशिक रूप से निरस्त करते हुए विपक्षी क0–03 को प्रश्नगत भूमि से उच्छेद करने का अनुरोध किया गया है।

विपक्षी क0–03 का अपने विज्ञ अधिवक्त के माध्यम से कहना है कि वे खतियानी रैयत अजीम मियां की द्वितीय पुत्री अदीना बीबी के वंशज है तथा प्रश्नगत भूमि उन्हें उत्तराधिकार में प्राप्त है। उनके द्वारा अंचल अधिकारी, हिरणपुर के पत्रांक 312/रा0, दिनांक 31.07.2018 के द्वारा भेजे गये जांच प्रतिवेदन के विरूद्ध आपत्ति की गई। विपक्षी क0–03 का कहना है कि रिभीजनकर्त्ता के द्वारा निम्न न्यायालय में प्राप्त अंचल अधिकारी, हिरणपुर के जांच प्रतिवेदन पर कोई आपत्ति नहीं की गई। उनका आगे कहना है कि प्रश्नगत दाग नं0–852 अन्तर्गत रकबा 0–6–1 धूर जमीन विगत सर्वे खतियान में अजीम मियां एवं भीखू मियां दोनों के पिता मुंशी मियां के नाम से दर्ज है। भीखू मियां की मृत्यु नावल्द हो गई। खतियानी रैयत अजीम मियां की दो पुत्री हुई एक रोशनी बीबी तथा दूसरी अदीना बीबी। विपक्षी क0–03 बहाब मियां उक्त अदीना बीबी के वंशज है। इस प्रकार Hanafi School of Mohamadan Law के सिद्धान्तों के अनुसार विपक्षी क0–03 खतियानी रैयत अजीम मियां के वैध उत्तराधिकारियों में से एक है। उनका आगे कहना है कि विपक्षी क0–03 दाग नं0–852 एवं 853 अन्तर्गत भूमि पर 20 वर्षो से अधिक समय से पक्का मकान बना कर रह रहे है। रिभीजनकर्त्ता तासिरा बेवा भी खतियानी रैयत अजीम मियां की उत्तराधिकारियों में से एक है तथा वो अपने हिस्से के लिए लड़ रही है। रिभीजनकर्त्ता के द्वारा प्रश्नगत जमाबन्दी की जमीन का बंटवारा के लिए सक्षम न्यायालय में नहीं जाकर निम्न न्यायालय में विपक्षी क0–03 के विरूद्ध बिल्कुल गलत एवं गैर कानूनी आधार पर आर0ई0आर0 वाद दाखिल किया गया है। उनका आगे कहना है कि प्रश्नगत मामले में किसी भी तरह से भूमि का अवैध हस्तान्तरण यथा Sale, gift, mortagage, will, lease आदि से हस्तान्तरण नहीं हुआ है। अतः संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम–1949 की धारा 20 का किसी भी तरह से उल्लंघन नहीं है।

Scanned with CamScanner

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2

उनका आगे कहना है कि निम्न न्यायालय द्वारा सभी तथ्यों तथा अंचल अधिकारी, हिरणपुर के जांच प्रतिवेदन तथा वंशावली को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल सही निर्णय पारित किया गया है तथा उक्त निर्णय में कोई गलती अथवा अनियमितता नहीं है। उनके द्वारा अंचल अधिकारी, हिरणपुर के Fresh जांच प्रतिवेदन पर आपत्ति व्यक्त किया गया।

उनके द्वारा रिभीजन आवेदन को खारिज करने का अनुरोध किया गया।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना। उनके द्वारा दाखिल लिखित अभिकथन एवं सम्पूर्ण अभिलेख का अवलोकन किया गया।

इस वाद में विचारण का मुख्य बिन्दू यह है कि विपक्षी क0–03 का प्रश्नगत जमाबन्दी सं0–04 के दाग सं0–882 एवं 852 के खतियानी रैयतों से कोई संबंध है अथवा नहीं तथा आवेदिका का दावा किस आधार पर है।

1. इस बिन्दू पर विचार करने से पूर्व अंचल अधिकारी, हिरणपुर द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 135/रा0, दिनांक 27.04.2010 द्वारा निम्न न्यायालय को प्रेषित जांच प्रतिदन, अंचल अधिकारी, हिरणपुर के पत्रांक 312/रा0, दिनांक 31.07.2018 के द्वारा इस न्यायालय को प्रेषित जांच प्रतिवेदन तथा अनुमंडल दण्डाधिकारी, पाकुड़ के न्यायालय के कि0मिस0 वाद सं0– 30/1999 में अंचल निरीक्षक एवं राजस्व कर्मचारी द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन निम्न न्यायालय तथा इस न्यायालय में उभय पक्ष के द्वारा दाखिल कागजातों का अवलोकन किया गया।

2. मूल विवाद खतियानी रैयतों में से एक अजीम मियां के ठीक बाद के उत्तराधिकारियों को लेकर है। रिभीजनकर्त्ता के द्वारा निम्न न्यायालय में दाखिल लिखित अभिकथन के पारा 4 में यह कहा गया है कि खतियानी रैयत अजीम मियां की दो पुत्रियां रोशनी बीबी तथा समीरन बीबी थी तथा समीरन बीबी की मृत्यु उसकी शादी होने के पूर्व ही हो गई थी।

इस न्यायालय में भी रिभीजनकर्त्ता के द्वारा दाखिल मूल आवेदन तथा लिखित अभिकथन में खतियानी रैयत अजीम मियां की दो पुत्री रोशनी बीबी एवं समीरन बीबी बताया गया है तथा समीरन बीबी को नावल्द मृत बताया गया है।

3. दूसरी ओर विपक्षी क0–03 के द्वारा निम्न न्यायालय में दाखिल कारणपृच्छा

Scanned with CamScanner

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
2	3

(पारा–3)एवं इस न्यायालय में दाखिल लिखित अभिकथन में खतियानी रैयत अजीम मियां की दो पुत्री रोशनी बीबी एवं अदीना बीबी बताया गया है। विपक्षी नं0–03 स्वयं को इसी अदीना बीबी को वंशज बताते हुए प्रश्नगत जमीन पर अपना दावा करते है।

4. इस संदर्भ में अंचल अधिकारी, हिरणपुर के पत्रांक 135/रा0, दिनांक 27.04.2010 द्वारा निम्न न्यायालय में भेजे गये जांच प्रतिवेदन में खतियानी रैयत अजीम मियां की दो पुत्री रोशनी बीबी एवं अदीना बीबी को वंशावली में दर्शाया गया है तथा विपक्षी नं0–03 को अदीना बीबी के वंशज के रूप में दर्शाया गया है। जबकि रिभीजनकर्त्ता को रोशनी बीबी के वंशज के रूप में दर्शाया गया है।

5. विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के न्यायालय के कि0मिस0वाद सं0–30/99 में राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के जांच प्रतिवेदन जिसकी अभिप्रमाणित प्रतिलिपि की छायाप्रति रिभीजनकर्त्ता के द्वारा दाखिल किया गया है, का अवलोकन किया गया। उक्त जांच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा–गोविन्दपुर के जमाबन्दी सं0–04 सोनू मियां व नवाब मियां के नाम से दर्ज है। सोनू मियां के दो पुत्र अजीम मियां एवं भीखू मियां है। अजीम मियां की मृत्यु हो चुकी है जिसे दो पुत्री रोशनी बीबी एवं समीरन बीबी है। भीखू मियां की नावल्द मृत्यु हो चुकी है। उक्त जांच प्रतिवेदन में विपक्षी (इस वाद के विपक्षी नं0–03) का जमाबन्दी सं0–04 की जमीन पर कोई हक नहीं बनता है, प्रतिवेदित किया गया है। इस जांच प्रतिवेदन में अजीम मियां की दो पुत्री रोशनी बीबी एवं समीरन बीबी का उल्लेख है तथा अदीना बीबी का कोई उल्लेख नहीं है।

6. उपर्युक्त वर्णित दोनों जांच प्रतिवेदन में भिन्न तथ्य रहने के कारण इस न्यायालय द्वारा Fresh जांच प्रतिवेदन की मांग की गई थी। अंचल अधिकारी, हिरणपुर के पत्रांक 312/रा0, दिनांक 31.07.2018 के द्वारा Fresh जांच प्रतिवेदन प्राप्त है। उक्त जांच प्रतिवेदन में खतियानी रैयत अजीम मियां की दो पुत्री रोशनी बीबी एवं समीरन बीबी को वंशावली में दर्शाया गया है। समीरन बीबी को नावल्द मृत बताया गया है। रिभीजनकर्त्ता को रोशनी बीबी का वंशज दर्शाया गया है। इसके अलावे यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि ग्रामीणों द्वारा वहाब मियां (इस वाद के विपक्षी नं0–03) को मौजा गोविन्दपुर के जमाबन्दी सं0–16 के जमाबन्दी रैयत गांगो बीबी का वंशज बताया गया, जिसकी स्वीकारोक्ति वहाब मियां द्वारा की गई। इसके अलावे स्वयं विपक्षी क0–03 के द्वारा दिनांक 03.10.2018 को List

Scanned with CamScanner

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2

of documents के रूप में विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के न्यायालय में कि0मिस0वाद सं0–524/2017 में पारित आदेश तथा हिरणपुर थाना अप्राथमिकी सं0–1517 दिनांक 15.10.2017 की छायाप्रति दाखिल किया गया है जिसमें प्रथम पक्ष तासिरा बेवा तथा द्वितीय पक्ष अब्दुल वहाब मियां, पिता–स्व0 ससुरूद्दीन मियां (इस वाद के विपक्षी नं0–03) है। विवाद मौजा–गोविन्दपुर के जमाबन्दी नं0–04 के दाग सं0–852 अन्तर्गत रकवा 0–6–1 धूर जमीन को लेकर है। उक्त अप्राथमिकी में जांच प्रतिवेदन समर्पित किया गया जिसमें यह अंकित है कि "विवादित जमीन पर जाकर खुले एवं गुप्त रूप से दोनों पक्षों की उपस्थिति में ग्रामीणों से पूछताछ किया तो लोग बताये कि उक्त जमीन प्रथम पक्ष (इस वाद के रिभीजनकर्त्ता) का ही है। इसे कमजोर एवं विधवा समझ कर संबंधित विवादित जमीन को द्वितीय पक्ष दखल करना चाहते है।"

7. उक्त सभी जांच प्रतिवेदनों (135/रा0, दिनांक 27.04.2010 को छोड़कर) में एक बात स्पष्ट होती है कि विपक्षी क0–03 का प्रश्नगत भूमि पर कोई हक नहीं है तथा खतियानी रैयत अजीम मियां की दो पुत्री रोशनी बीबी एवं समीरन बीबी थी। रिभीजनकर्त्ता के मूल आवेदन में वर्णित कंडिका (viii) में यह अंकित है कि अजीम मियां की दो पुत्री रोशनी बीबी एवं समीरन बीबी थी। अंचल अधिकारी, हिरणपुर का Fresh जांच प्रतिवेदन उक्त तथ्य की पुष्टि करता है।

अंचल अधिकारी, हिरणपुर के Fresh जांच प्रतिवेदन में विपक्षी नं0–03 को मौजा–गोविन्दपुर के जमाबन्दी सं0–16 के खतियानी रैयत गांगो बीबी का वंशज बताया गया है तथा यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि विपक्षी नं0–03 इस बात से सहमत है।

रिभीजनकर्त्ता के द्वारा एक असमत अली, पिता–सुकुरूद्दी अली, सा0– गोविन्दपुर द्वारा निष्पादित शपथ–पत्र सं0–72 दिनांक 01.09.2017 दाखिल किया गया है। उक्त शपथ पत्र के अनुसार शपथकर्त्ता मौजा–गोविन्दपुर के जमाबन्दी नं0–16 के खतियानी रैयत गांगो बीबी के वंशज है तथा वहाब मियां पिता–बसीरूद्दी मियां (इस वाद कें विपक्षी नं0–03) भी उक्त जमाबन्दी सं0–16 के खतियानी रैयत गांगो बीबी के वंशज है। इसी प्रकार विपक्षी क0–03 के द्वारा भी निम्न न्यायालय में करीम मियां एवं कालू मराण्डी (ग्राम प्रधान मौजा–गोविन्दपुर) द्वारा निष्पादित दो अलग–अलग शपथ पत्र दाखिल किया गया था जिसमें विपक्षी क0–03 को मौजा गोविन्दपुर के जमाबन्दी सं0–04 के खतियानी रैयत अजीम मियां का

Scanned with CamScanner

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
2	3

वंशज बताया गया है तथा रिभीजनकर्त्ता तासिरा बेवा को खतियानी रैयत अजीम मियां का वंशज नहीं माना गया है। यहां यह उल्लेखनीय है कि स्वयं विपक्षी क0–03 के द्वारा दाखिल लिखित अभिकथन के पारा 5 एवं 8 में रिभीजनकर्त्ता को खतियानी रैयत अजीम मियां का वैध उत्तराधिकारी माना है। विपक्षी क0–03 द्वारा दाखिल उक्त शपथ पत्र उपरोक्त विवेचना के आधार पर स्वीकार करने योग्य नहीं है।

इस प्रकार उपर्युक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि अंचल अधिकारी, हिरणपुर के पत्रांक 135/रा0, दिनांक 27.04.2010 से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के उस अंश को जिसमें खतियानी रैयत अजीम मियां की दूसरी पुत्री, अदीना बीबी को दर्शाया गया है, सही नहीं माना जा सकता है इसलिए विपक्षी क0–03 का मौजा– गोविन्दपुर के जमाबन्दी सं0–04 के खतियानी रैयत अजीम मियां से कोई संबंध नहीं है तथा वे अजीम मियां के वैध उत्तराधिकारी नहीं है।

जहां तक प्रश्न रिभीजनकर्त्ता के वैध उत्तराधिकारी होने का है, अंचल अधिकारी, हिरणपुर के जांच प्रतिवेदनों एवं स्वयं विपक्षी नं0–03 के लिखित अभिकथन के पारा–5 एवं 8 के अनुसार रिभीजनकर्त्ता खतियानी रैयत अजीम मियां की वैध उत्तराधिकारी हैं।

सम्पूर्ण अभिलेख के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत जमाबन्दी की भूमि का आपस में लिखित बंटवारा नहीं हुआ है। रिभीजनकर्त्ता के द्वारा प्रश्नगत भूमि का आपसी बंटवारा संबंधी कोई कागजात दाखिल नहीं किया गया है। यद्यपि मौखिक बंटवारे की बात कही गई है। ऐसे में प्रश्नगत भूमि रिभीजनकर्त्ता को ही बंटवारे में मिली है, यह प्रमाणित नहीं हो पाता है। परन्तु प्रश्नगत भूमि खतियानी रैयत के सभी जीवित वंशजो की है, यह स्पष्ट है।

Fresh जांच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत जमाबन्दी नं0–04 के दाग सं0–852 एवं 853 पर विपक्षी क0–03 का मकान है।

अतः उपर्युक्त विवेचना के आधार पर रिभीजनकर्त्ता के रिभीजन आवेदन को स्वीकृत करते हुए निम्न न्यायालय के द्वारा पारित आदेश को आंशिक रूप से निरस्त (Set aside) करते हुए विपक्षी क0–03 वहाब मियां, पिता–बसीरूद्दीन मियां, सा0–गोविन्दपुर को मौजा–गोविन्दपुर के जमाबन्दी नं0–04 के दाग सं0–852 एवं 853 की भूमि से संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम–1949 की धारा 42 के तहत उच्छेद किया जाता है। प्रश्नगत जमीन पर

Scanned with CamScanner

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2
	विपक्षी क्र0–03 द्वारा निर्मित्त संरचना का मूल्यांकन अंचल अधिकारी, हिरणपुर एवं उभय पक्षों की उपस्थिति में कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, पाकुड़ आदेश प्राप्ति के दो सप्ताह के अन्दर करते हुए मूल्यांकन प्रतिवेदन अंचल अधिकारी, हिरणपुर को समर्पित करेंगे। अंचल अधिकारी, हिरणपुर कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, पाकुड़ से प्राप्त मूल्यांकन के अनुसार पांच माह के अन्दर राशि विपक्षी क्र0–03 को भुगतान करने हेतु खतियानी रैयतों के सभी जीवित वंशजों को आदेशित करेंगे। खतियानी रैयतों के सभी जीवित वंशजों के द्वारा कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग द्वारा प्रश्नगत जमीन पर विपक्षी क्र0–03 द्वारा बनाये गये संरचना के मूल्य के बराबर राशि जमा करने पर एक पक्ष के अन्दर अंचल अधिकारी, हिरणपुर उन्हें उक्त भवन एवं जमीन पर कब्जा दिलाना सुनिश्चित करायेंगे। यदि वे राशि जमा करने में विफल होते है तो विपक्षी नं0–03 आदेश पारित होने की तिथि से छः माह के अन्तर्गत प्रश्नगत जमीन से अपना कब्जा हटाकर निर्मित्त संरचना को हटायेंगे। यदि वे छः महिनों में अवैध कब्जा हटाने में विफल रहते है तो सरकार द्वारा इस संरचना को हटा दिया जायेगा तथा प्रश्नगत जमीन पर उन्हें दखल कब्जा दिला दिया जायेगा। उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को आदेश का अवलोकन करा दें। लेखापित एवं संशोधित। 06.1.2021 उपायुक्त, पाकुड़। 06.1.2021 उपायुक्त, पाकुड़।

Digitally signed by VARUN RANJAN
Date: 2023.01.12 15:41:39 +05:30
Location: 192.168.1.100

Scanned with CamScanner